dk;k/y; ftyk iapk;r ukjk;.kiqj ¼N-x-½

&%Kkiu%&

क्रमांक / 4743 / जि.पं. / शि.क. / 2012–13, नारायणपुर दिनांक 15.01.2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा.–192 / पंग्राविवि / 2012 / 1167 रायपुर,दिनांक 21.08.2012 एवं छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के. एस. भवन, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक / पं. / पंग्राविवि / 22 / 2012 / 1583 रायपुर दिनांक 21.11.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2012 के अंतर्गत जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं / संस्थाओं में शिक्षक (पं.) के रिक्त पदों (बैकलॉग पद सहित) की पूर्ति हेतु केवल जिला नारायणपुर के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2013 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय मे आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र.	विषय का नाम	¼v½				¼c½				¼l½				¼n½				¼b½			
		कुल पद श्रेणीवार				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		UR	**SC**	**ST**	**OB**	**UR**	**SC**	**ST**	**OB**	**UR**	**SC**	**ST**	**OB**	**UR**	**SC**	**ST**	**OB**	**UR**	**SC**	**ST**	**OB**
1	गणित	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	बैकलॉग	-	2	46	-		2	14				3				5		-	-	24	-
	;kx	**1**	**2**	**46**	**-**	**-**	**2**	**14**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**1**	**-**	**24**	**-**
2	विज्ञान	4	2	24	5	1	-	8	2	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	13	3
	बैकलॉग	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	;kx	**4**	**2**	**33**	**5**	**1**	**-**	**9**	**2**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**3**	**2**	**13**	**3**
3	अंग्रेजी	1	1	10	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2
	बैकलॉग	-	3	40	2	-	1	13	2			3		1		4	-	-	1	20	-
	;kx	**1**	**4**	**50**	**4**	**-**	**1**	**16**	**2**	**-**	**-**	**3**	**-**	**1**	**-**	**4**	**-**	**1**	**2**	**27**	**2**
4	कला	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	;kx	**2**	**-**	**2**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**
5	व्यायाम	-	-	-	-																
	बैकलॉग	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	;kx	**-**	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**
	e k;kx	**8**	**9**	**134**	**10**	**2**	**3**	**41**	**4**	**-**	**-**	**10**	**-**	**1**	**-**	**17**	**-**	**6**	**5**	**66**	**6**

!"i%& 1. अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलियर)
2. रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।
3. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

f#$kkx"; fu;e %#: &kr%&

1.वेतनमान रूपयेः– f&k'kd iapk;r d: fy% #:rueku (i;:)*++&,-*&.+++

-- ik/rk d" &kr%&

f&k'kd iapk;r :r| 0;:ure v rk%%&

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो–

(क) स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

v2k#k

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

v2k#k

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनिमय के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

v2k#k

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा मे 4 वर्षीय स्नातक (बी.एड.)।

v2k#k

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

r2kk

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

v3;kid ik/rk ij"'kk ¼!"-b-!"-½ e: 0;ure ik5r vd ½&

(1) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवीं में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

¼x½ 6ijk7r 8ukrd 6ikf3k e: f#9k; fu:uku|kj kx½&

;-	f#9k;	f#9k; le
1	*2*	*3*
1	अंगेजी	अंगेजी साहित्य स्नातक पर एक विषय रहा हो
2	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय – भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईंस/सांख्यिकी सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक
3	विज्ञान	रसायन,बायोकेमेस्ट्री,फार्मेसी,वनस्पति विज्ञान,प्राणी विज्ञान,सैन्य विज्ञान,भू–गर्भ विज्ञान,इंजिनियरिंग में स्नातक
4	कला	कला संकाय में स्नातक कोई भी विषय
5	व्यायाम	स्नातक के अलावा बी.पी.एड. अथवा एम.पी.एड. होना आवश्यक है

2.1 स्थानीय निवासियों को ही नियुक्ति में पात्रता दी जावेगी ।

2.2 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

2.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

2.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिले रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

2.5 आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

2.6 शिक्षक (पंचायत) यथास्थिति जिला पंचायत/जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

<& vk;| l"ek½&

दिनांक 01 जनवरी, 2013 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।

)& $kr"' dk rj"dk%&

4.1 शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 अंक तथा ऐसे आवेदक जिन्होने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हे स्नातक अथवा बी.एड. में प्राप्त पृथक–पृथक अंकों के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिये जायेंगे।

4.2 शिक्षक (पंचायत) के पद पर नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर एवं प्राप्त निर्देशानुसार किया जायेगा ।

4.3 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध मे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत को होगा।

4.4 चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.5 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

4.6 चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जावेगा।

4.7 जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

4.8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

4.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। संतोषप्रद नही होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा

*& vk#nu 5k/ vk#nu tek djus d" f#f3k%&

5.1 आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों सहित सीधे संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में दिनांक 20–01–2013 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते है या अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे कि जिला पंचायत कार्यालय को 30–01–2013 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जावे।

5.2 आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा, पिन कोड सहित दो लिफाफा भी संलग्न करेंगे, जिसमें से एक लिफाफा में रू. 22.00 मूल्य का टिकट एंव एक लिफाफा में रु. 5.00 रू मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे।

5.3 आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, जिले का नाम एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

5.4 निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करें एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें

5.5 डाक (आवेदन–पत्र) विलम्ब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी जिला पंचायत कार्यालय की नहीं होगी।

5.6 विस्तृत जानकारी जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल पर या **http://cg.gov.in** पर देखा जा सकता है।

l "=&
e>; dk;5kkyu vf3kdkj"
ftyk ipk;r ukjk;.kij

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, जिला – नारायणपुर

जिला का नाम.......................................

शिक्षक (पंचायत)..............................विषय.................................हेतु आवेदन पत्र

अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर
जिला – नारायणपुर (छ.ग.)

1– अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) – ....
(अंग्रेजी के कैपिट्ल लेटर में) – ....

2– पिता/पति का नाम (हिन्दी में) – ....
(अंगेजी के कैपिट्ल लेटर में) – ....

3– जन्मतिथि (अंकों में) – ....
(शब्दों में) – ....

4– उम्र (01.01.2013 की स्थिति में वर्ष..............माह...............दिन.....................

5– जातिं/प्रवर्ग – ....
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें
(आरक्षित प्रवर्ग का लाभ लेने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

6– विशेष पिछड़ी जनजाति हो तो उल्लेख करें ....

7– क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ....
(मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

8– क्या आप निःशक्त हैं? यदि हां तो निःशक्ता का प्रतिशत....................एवं निःशक्ता का प्रकार (अस्थि/दृष्टि/श्रवण...........................(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्ता का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

9– क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं?.......................

10– शैक्षणिक योग्यता– (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	बी.एड.					
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.)					

11- क्या आप भूतपूर्व सैनिक है..(यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12- जीवित पंजीयन क्रमांक व नवीनीकरण तिथि..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13- स्थायी पता ....
....
....
....

14- पत्राचार का पता ....
....
....
....

15- यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल में सेवारत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक

16- वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) ....

17- यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि...............................बच्चों की संख्या.....................
सभी बच्चों की जन्मतिथि...
(प्रमाण प्रस्तुत करें) सरपंच/वार्ड पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

18- **अभ्यर्थी का घोषणा पत्र :-**

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में बिन्दु क्रमांक 01 से 17 तक दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन संपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार मुझे शिक्षाकर्मी वर्ग..........................विषय...............................
.के पद पर आवेदन करने की पात्रता है,जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान............................. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक........................... नामः-....................................

टीपः- कृपया अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के अनुसार ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।